

तारीख हुक्म

24/01/24

पत्रावली नं. 12/2/24/वादी व प्रतिवादी व उनके अधिवक्ताओं को
न्यायालय में बाल-बाल-कक-रक्कट के आवाम दिलाई गई
कोई भी न्यायालय समय में शाम तक कोई भी उपस्थित
नहीं आया। अतः प्रकरण को अदम हाजिरी व पैप्री नहीं कर
के अगले प्रकरण को अदम हाजिरी व अदम पैप्री में
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर में
कहो। तथा दाखिल दफत हो। 11

रघुचन्द्र अधिवक्ता
बैठान जिला नौसा (राज.)